



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपकरण)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: ५२—पारे०अनु०—१६ / पाट्राकालि—२०२०—१८ / १४ टी०सी०

दिनांक: १८ जनवरी, २०२०

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर— । एवं ॥),
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक,
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लि�०।

विषय:- विभागीय अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों/ शिकायती पत्रों का निस्तारण उ०प्र० शासन के विभिन्न शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या—१३/१/ ९७—का—१/२०१२, दिनांक 19.04.2012 (छायाप्रति संलग्न) एवं ब्रदसंलग्नक सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या—१३/१/९७—का—१/१९९७, दिनांक 09.05.1997 द्वारा समूह 'क' तथा तत्क्रम में निर्गत पत्र संख्या—१३/१/९७—का—१/१९९७, दिनांक 01.08.1997 द्वारा समूह 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों/ शिकायती पत्रों का निस्तारण निम्नवत् निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करें :—

1. विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती—पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।
2. अन्य स्रोतों/ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ—पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे की कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है कि विभाग के विभिन्न स्तरों पर लम्बित/ प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती पत्रों का निस्तारण उ०प्र० शासन के उपरोक्त आदेशों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

(संघिल पाण्डियन सी०)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : ५२—पारे०अनु०—१६ / पाट्राकालि/२०२०/ तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि�०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अधिशासी अभियन्ता (स०) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि�०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब—साइड www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
3. कट फाइल।

(संघिल पाण्डियन सी०)
प्रबन्ध निदेशक

प्रेषक,

राजीव कुगार,
प्रगुख राचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

रोता में,

- (1) रामरत प्रगुख सचिव/राचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समरत विगागाध्यक्ष/प्रगुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (3) रामरत अपडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुग्रह--1

लखनऊ :: दिनांक 19 अप्रैल, 2012

विषय:-सरकारी अधिकारियों/कार्यालयियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों का निरतारण।

गहोदय,

कृपया रागूह 'क' के अधिकारियों एवं रागूह 'ख', 'ग' तथा 'घ' के सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निरतारण हेतु कार्मिक अनुग्रह के शासनादेश दिनांक 09 गई, 1997 तथा दिनांक 01 अगस्त, 1997 (शुलभ रान्दर्घ हेतु प्रतिलिपियाँ रांगन) का रान्दर्घ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि रिट याचिका रांख्या-4372(एरा०एस०)/2011 कुमार शर्मा बनार उत्तर प्रदेश राज्य न अन्य गोंगा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2012 को आदेश पारित करते हुए निम्नतः observations किये गये हैं :-

Before parting with the matter, this court would like to observe that the Government Orders dated 09.05.1997 and 01.08.1997, which encompass group 'Kha' 'Ga' and 'Gha' employees of the State Government also, provide for adequate caution to be taken by the authorities concerned while inquiring into the complaints made against the government officers/employees of different categories. However, from the averments made in the counter affidavit filed by the respondents in the instant case, it is clear that the said procedure as provided in the government orders dated 09.05.1997 and 01.08.1997 was not followed. A perusal of the complaint made by Sri Ajay Kumar which has been annexed as annexe No. 4 to the writ petition reveals that the said complaint does not even bear the address of the complainant. The purpose of issuance of the aforesaid two government orders is not only to safeguard the government officers from unnecessary harassment but also to curb the tendency of making frivolous and anonymous complaints against the government servants. The State Government and its authorities by not following the procedure prescribed in the

aforesaid government orders are doing disservice to the society and as such, it would be appropriate to issue a direction to the State Government to ensure that the procedure provided in the Government Orders dated 09.05.1997 and 01.08.1997 is adhered to. Accordingly, a direction is issued to the State Government to strictly follow the procedure prescribed under the aforesaid two government orders.

3. अतएव, इस सम्बंध में गुज़ो गह कहने का निदेश हुआ है कि राजकारी रोबकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निरतारण के प्रत्येक गागले में उपरिसन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 09 गई, 1997 एवं दिनांक 01 अगरत, 1997 में वर्णित प्रक्रिया का कड़ाई रो अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख राजिव।

संख्या-13/1/97(1)-का-1/2012, तददिनांक
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित:-

1. निवन्धक, गा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ वेंच लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल गहोदय, उत्तर प्रदेश।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान राजा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. गीडिया रालाहकार, गा० गुज्जा गंत्रीजी।
7. निदेशक, सूचना तिगाग, उत्तर प्रदेश।
8. नियुक्त अनुभाग-6, उ०प्रा० शारान को कार्गिक विभाग की वेबराइट पर अप्लोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।
9. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. अपर गहाधिवक्ता, उ०प्रा०, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।
11. सचिवालय के सगस्त अनुगाम।

रांलग्नक : यथोपरि।

आज्ञा रो,

K
(एच०एब्र०-गुप्ता)
विशेष सुनित।

संख्या 13/1/97-का-1/1997

प्रेषक,

जगदीत रिंह,
राधिव.
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्यांक, दिनांक 9 मई 1997

विषय : रामूँ "क" (धेरी - 1) के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों का निरतारण।
गल्लीदाय,

कार्यालय
अनुग्रह-1

कलिपय स्रोतों से शासन के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों प्राप्त होती रहती है। इनमें युछ मात्र सांसदों/विधायकों से प्राप्त शिकायतों होती है तथा युछ अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त होती है। कलिपय गांवों में यह हेतु गया है कि शिकायती-पत्रों में अकिञ्चि शिकायत कर्ता का नाम फर्जी है तथा शिकायतों निराधार ग तथ्यहीन है। कलिपय गांवों में किसी विशिष्ट व्यक्ति के पैड का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने हताहर से शिकायती पत्र दिय जाते हैं।

2-अतः ये नामी अधियाय कर्ता शिकायतों की बढ़ती प्रवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए सम्बन्ध विद्यारोपणात् शारान द्वारा निर्णय लिया गया है कि रामूँ "क" (धेरी-1) के जारी अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों के निरतारण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाय :-

(1) विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरब्द करने से पूर्व सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्ट करा ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हताहरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका सन्दर्भ हो गया है कि शिकायते तथ्यीय वा आवारित हैं।

(2) अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस वारे में एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने वाला शिकायती की पुष्टि हेतु सम्बन्धित सात्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और इसके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

3-अतः आपसे यह अनुरोध करने वाले मुझे निर्देश हुआ है कि रामूँ "क" (धेरी-1) के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शासन के विभिन्न स्तरों पर सचिव/प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती-पत्रों का उपरोक्त निर्णयों के अनुसार ही निरतारण सुनिश्चित करने का कार्य करें।

शब्दीय,
जगदीत रिंह,
सचिव।

संख्या 13/1/97-का-1/1997, सदृश्यांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक वार्तावाही हेतु प्रेपित -

- (1) प्रमुख सचिव, सतर्कता विभाग, उ०प्र० शारान।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०
- (3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आड़ा रा.
के० एम० लाल.
विशेष सचिव।

रांख्या 13/1/97-का-1 / 1997

प्रेषक

जगजीत सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संग्रह में

समस्त प्रभुख सविव / सविव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ, दिनांक 01 अगस्त, 1997

विषय : समूह “ख”, “ग” तथा “घ” के सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों का निरसारण।
महोदय

कार्यिक
अनुभाग - १

कतिपय भ्रातों से समूह "क" (ब्रेणी-।) के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों के निस्तारण हेतु समसंख्यक शासनदेश दिनांक 09 मई, 1997 में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रामूह "खं", "ग" तथा "घ" ब्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण हेतु भी समान प्रक्रिया अपनायी जाय। उक्त प्रक्रिया निम्नवत् है:-

(1) विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही असम्भव करने से पूर्ण राम्यधित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हरताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।

(2) अन्य स्रोतों / व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस वारेमें एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु सम्मुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

2-अतः आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निर्देश हुआ है कि, शासन के विभिन्न सारों पर लम्बित/प्राप्त होने वाले समर्त शिकायती-पत्रों का उपरोक्त निर्णयों के अनुसार ही निम्नाधिकार सनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
जगजीत सिंह
सायित।

संख्या 13/1/97-का-1/1997, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययाही हेतु प्रेपित :-

- (1) प्रमुख सचिव, सतर्कता विभाग, उमप्र० शासन।
 - (2) समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उमप्र०।
 - (3) समरत मण्डलाध्यक्ष / जिलाधिकारी, उमप्र०।
 - (4) सचिवालय के संग्रहा अनुभाग।

आज्ञा री
के० एम० लाल
विशेष ध्येय।